कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

मिसल संख्या – 106/2020 निर्णय दिनांक :– 26.08.2020

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कृष्णाकंवर पत्नी हेमेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बी, गोविन्द निवास, भगवती नगर करतारपुरा जयपुर जिला जयपुर राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना–पत्र पत्थगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार आराजी **खाता संख्या 23 खसरा नं0 14 रकबा 8.46 है0** वाके ग्राम करेस्यादेवपुरा तहसील दूनी जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबन्दी सम्वत **2071--2074** में अंकित **खाता संख्या 23 खसरा नं0 14 रकबा 8.46 है0** वाके ग्राम करेस्यादेवपुरा की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/– निर्धारित की जाकर एततद्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

(भारत भूषण गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली